



विद्यया ऽमृतमश्नुते


INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

REGISTRATION CHARGE 10%
Stamp Duty 5%
Stamp Paper 100/-
Stamp Duty 5%
Stamp Paper 100/-

e-Stamp

Certificate No.	INUP30750000750000
Certificate Issued Date	20/02/2024 12:11 PM
Account Reference	INUP30750000750000
Urgent Chk. Reference	
Purchased by	GAJRA SINGH SON OF RAMSINGH
Description of Document	ARJUN 36 Lines
Property Description	PLOT SITUATED AT MALLA LAJSAH TAREIL, KANUN DISTRICT MATHURA
Consideration Price (Rs.)	
First Party	SHAMBHUSHAN SINGH SON OF RAMSINGH AND OTHERS
Second Party	GAJRA SINGH SON OF RAMSINGH
Stamp Duty Paid By	GAJRA SINGH SON OF RAMSINGH
Stamp Duty Amount (Rs.)	1000 (One Thousand Five Hundred only)



LOCKED
By
RA
Kishan



0000509973



शुभ अमीर (सह साक्षी)

सहसाक्षी (सहसाक्षी)



शुभ अमीर (सह साक्षी)

सहसाक्षी (सहसाक्षी)

(1)

बीछा-लेगांव
 किराचानामा (लीजबीड)
 वार्षिक किराचा-12000/-
 प्रतिमास-1000/-
 कीमत-72000/-
 म्हाद-30 वर्ष से अनधिक
 म्हाद-1800/-
 पर्व-7

मैं कि कुजसुपण सिंह पुत्र भी रत्नसिंह व बीमाती सखीस कुन्वरी पानी की जयवीर सिंह व बीमाती अरिता पानी की राजराज सिंह रामरत काम यादव निःशुभ भाग्यनगर भाग नगला विरिया पहा व लहठ किसानी जिला मेमपुरी प्रथमका (किराचे पर लेने वाले) व देवादेवी सिखा अगिति भाग्यनगर लेगांव किसानी जिला मेमपुरी द्वारा प्रथमका राजराज सिंह पुत्र भी रत्नसिंह काम यादव निःशुभ भाग्यनगर भाग नगला विरिया पहा व लहठ किसानी जिला मेमपुरी द्वितीय भाग (किराचे पर लेने वाले) को ही विदित हो कि कुज प्रथमका की आराजी गादा सं-41/29/0.324 हेठ पूर्णभाग व गादा सं-40/0.227 व 41/0.632 कुल 2 किला/0.856 हेठ में से लहठ 0.514 हेठ पूर्णभाग कुल भुमि 0.838 हेठ याकी 8380 वर्गमीटर जिसमें निर्मित भवन व बाउण्ड्रीवाल है।
















(2)

जिलाधी श्रीहरदयी-मुख ने खेत कुलभुषण सिंह आदि व श्रीराम ने खेत सरिता
आदि व प्रकाश ने चकमारा व दलिन ने खेत सावु आदि बाकी भोजा जेसाप
पका व ताहो किलाधी जिला मेजपुरी को मुद्रा प्रमाणका ने 50-12000/-
(बासठ हजार रुपया) करिक किराये पर 30 वर्ष अवधिक को लिए द्वितीयपका
को किराये पर दिका है और मुद्रा द्वितीयपका ने प्रमाणका से विनियमित
बाकी पर किराये पर लिया है-

15/10/20 6/11 11/11 11/11



(3)

1. यह कि चका भवन की किरायेदारी 04.07.2022 से प्रारम्भ होगी इसी दिन से किराया चालू होगा। किराया अवधि 30 वर्ष अनधिक के लिए है। यदि भादव के बाद भी द्वितीयपक्ष को चका भवन की आवश्यकता हो तो दोनों पक्षों की सहमति से रजिस्टर्ड किरायादामा के द्वारा चका भवन को प्रथमपक्ष द्वारा द्वितीयपक्ष को आगे भी किराये पर दिया जा सकता है। किराया परीक्षण करना आवश्यक होगा। किरायादामा की भादव-29 वर्ष 11 माह 29 दिन अवधि 30 वर्ष अनधिक होगी।

Signature



Signature



Signature




Signature



(4)

2. यह कि द्वितीयक उपरोक्त भवन का प्रयोग बहुत ही अत्यावश्यक आवश्यकतानुसार अन्य किसी कार्य में प्रयोग कर सकता है।
3. यह कि उपरोक्त ज़रूरी का किराया द्वितीयक प्रत्येक यह की 1 तारीख को दरिदर द्वारा जवाब दिया जाएगा बिना किसी प्रति के कोई भी अदावती किसी भी वक्त में स्वीकार नहीं होगी तथा किराया दोस्त पक्ष की सहमति से हर 30 वर्ष अवधिक में बढ़ाया जा सकता है। तथा द्वितीयक यह किसी अन्य को किराये पर दे सकता है। मुझ प्रथमक को कोई हस्तान्तरण न होगा।

Signature



Signature



Signature



Signature

